

17-6-16

फ़ाकली आठ राजक लोक अदालत
 मूँष रानोली के फ़ेरा डई, रैफोर्डेन्ट
 हें । व २ हें मेटिस तामीन होव ड
 फ़ेरा ड आ । रैफोर्डेन्ट हें १-२ नानग ड
 तामीन अनुपस्थित रहे इलिये इनरे विरुद्ध
 एक पक्षीय कार्यवाही अमान में लाई गई।
 अपीलान्त का रकत हें कि जाव ड फल फ़ा
 द्वारा अरे अरे नामान्त करण हें १३२५
 दिनांक ३०-६-७८ हें जावेनामे के
 आधार पर नामान्त करण अरे जावेनामे
 अपीलान्त के फ़िरा का नाम जाले हें कि
 दुखदेह पुत्र नामुराज मारी अल कि अजित
 हारी के हें कि फ़िरा अफ़ा अवाक ~~के~~ जावेनामे
 कि विरामत (वेतने लक्ष्य कर ड पुत्र
 के पक्ष में नामान्त करण हें करण।

उपखण्ड अधिकारी
 बांसारामगढ़

(प्रकीर्ण) सामग्रीकांड-554

श्रीकृष्ण अणुपणु प्रकाश

चाहिए था। जो पुस्तकें बंद हो

मोठ्या रूफ मॉगुराफ दर्ज होना है

इसलिए सामग्रीकांड संख्या 1325

को त्वारिक रिपोर्ट करने पर त्वरित

महोदय कि मकहू मकहू कि प्रकटीक प्रकृ प्रिअरि

उपखण्ड संख्या 1325 का प्रकटीक रिपोर्ट

दिले अपीलान्ट द्वारा अपील में

कार्य रूफों है सन्तुषट होने पर

उप पंचायत पसलाना द्वारा त्वरित

रिपोर्टों सामग्रीकांड संख्या

1325 दिनांक 30.6.78 को त्वारिक

रिपोर्ट जाता है। त्वरितपद, दांतारामगढ

को निर्देश दिष्ट आते हैं कि मोठ्या

के रिपोर्ट कारियों की जांच कर

उन: सिपमानुकांड सामग्रीकांड

दर्ज करें। पालना हेतु त्वरितपद

दांतारामगढ को त्वरित जारी है।

प्रकाशनी फैलाप शुभाड होकर नमक

है कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ